न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत तहसील बनेड़ा

प्रकरण संख्या : 97/2015 राजस्व वाद
अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

वास्ते :– तहसीलदार बनेड़ा

विषयः– परिवाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए

उनवान

1. देवकरण पिता भैरू चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
2. नाथी पुत्री भैरू चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
3. हीरी पत्नि भैरू चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
4. बंशी पिता रामा चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
5. गोपाल पिता नन्दा चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
6. मदन पिता नन्दा चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
7. शिवलाल पिता नन्दा चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
8. धन्ना पिता लालु चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पिता देबी चमार निवासी अमरगढ, तहसील बनेडा भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

––विपक्षीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.05.2016

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 14.12.2015 को एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगणसंख्या–1 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम अमरगढ प0हल्का मूशी में वादीगण के नाम पर खाता संख्या के आ. सं. 54, 56, 62, 63, 64, 92, 93, 94, 95, 96, 312 कुल किता 11 रकबा 09–05 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जिसकी वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश लेकर दिनांक 27.12.2012 को भू अभिलेख निरीक्षक से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात 96 की पश्चिमी मेर में उत्तर दिशा की तरफ 5.5 गट्टा लम्बाई एंव 4 गट्टा चौडाई में त्रिभुजाकार में कब्जा है जो 10.25 वर्ग गट्टे क्षैत्रफल बनता है, उक्त आराजीयात के विशिष्ट भु–भाग पर वर्तमान में प्रतिवादी मोहन पिता देबी चमार निवासी अमरगढ अवैध कब्जा है। जिसका कब्जा सिपुर्द करने से प्रतिवादीगण इंकार कर दिया है। अतः वादीगण को कब्जा सिपुर्द किया जावें

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

राजीयात पर नाजायज जबरन कब्जा कर रखा हे 1तो इस बाबत हमेशा विवाद
ता रहता है 1 फसल काश्त करते समय फसल काटते समय आये दिन लड़ाई

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी को बावजूद सूचना निममित पैशीयों पर अनुपस्थित पाया गया। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत –2016/केम्प कोर्ट का आयोजन नियत होने से उक्त प्रकरण में सभी पक्षों को सूचना पत्र जारी कर केम्प कोर्ट आमा में तलब किया गया। केम्प कोर्ट आमा में पक्षकारान उभयपक्ष बावजूद सूचना केम्प में अनुपस्थित रहे। प्रकरण में तहसीलदार बनेडा, भु0अ0निरीक्षक उपरेडा से नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

3. वादी को सुना गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी उनकी मौजूदगी में कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एंव खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्मण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादीगण को कब्जा स्वंय के खर्चे पर सिपुर्द किये जाने माफिक डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम अमरगढ पटवार मण्डल मूशी में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या खाता संख्या 54, 56, 62, 63, 64, 92, 93, 94, 95, 96, 312 कुल किता 11 रकबा 09–05 बीघा बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से उनके स्वंय के खर्चे पर वादीगण को सिपुर्द किया जावें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 25.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा